न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2013/00089 (90/2013) 223 आरआईएक्ट

1. विमला पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी नथवानिया तहसील नोहर पत्नी कृष्ण जाति जाट हिाल निवासी कनाउ तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी नथपवानिया तहसील नोहर पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कनाउ तहसील भादरा। –अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
2. साहबराम
3. राजेन्द्र } पिसरान नत्थुराम जाति जाट निवासी नथवानिया तहसील नोहर।
4. बरजी पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी नथवानिया तहसील नोहर।
5. सोनू उर्फ अजय कुमार पुत्र धापा पुत्री नत्थुराम नाबालिग जरिये कुदरती बली पिता भूप सिह पुत्र पृथ्वीराम जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2013 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भादरा प्रकरण संख्या 228/2007 बअनवानी विमला बनाम नत्थुराम आदि

श्री कुलदीप खुड़िया अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता [illegible]
श्री राजेश कौशिक राजकीय [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः– 09-6-22

1. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक दावा इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि खाता सं0 40/33 के ख. नं. 84 की 8. 3980 हैक्टर बारानी एवं खाता नं0 41/90 के ख. नं. 89 की 1.5180 है0 एवं कृष्ण भूमि जो कि नत्थूराम वल्द भोपतराम के नाम खातेदारी दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी दादालाई सम्पति है जिसमें वादिया विमला, कृष्णा एवं प्रतिवादी सानू की माता धापा एवं प्रतिवादी साहबराम का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। वादीगण के माता पिता दोनों जीवित हैं। प्रश्नगत भुमि नत्थुराम के अकेले के नाम रहने से प्रश्नगत भूमि को विक्रय करने पर तुला है। यदि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र में वर्णितानुसार हिस्सा घोषत करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी नत्थूराम को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वादीगण का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय कतई मनमाना स्वेच्छारिता पूर्ण, गलत, विधि विरूद्ध, न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है जो खारिज किया जावे। रिकार्ड ऑफ राईट जमाबन्दी से पूर्णतया पिढी दर पीढी साबित थी वादीया अपने हक हिस्सा अनुसार अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के साथ अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारीणी थी मगर अदालत ने गलत आधारों पर दावा को खारिज कर कानूनी भूल की है। सजरा खानदार में भोपतराम के पांच वारिसों को पार्टी नहीं बनाने का प्रश्न है तो नत्थुराम के अकेले के नाम दर्ज भूमि के लिए सजरा खानदान में भोपतराम के वारिसों को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। बहनों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद हक त्याग दिया तब भी नत्थूराम के अकेले के नाम दर्ज हुई है। हिस्सा कसी सहबन से 1/7 दर्ज [illegible] खाता का हिस्सा नहीं होता है

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:08 IST
Reason: SelfAttested

इसिलए वादीया का 1/6–1/6 हिस्सा की हक धारणी है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

3. रेस्पोडेण्ट सं0 1 की तरफ से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

4. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि कुल वाद भूमि भोपतराम की कृषि भूमि थी जो भोपतराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम व उसकी चार पुत्रियों जयकोरी, रामी, शांति, व रूकमा पांचों में बहिस्सा बराबर निहित हो गई। वादीगण ने कपट पूर्वक भोपतराम की पुत्रियों के अस्तित्व को छुपाकर उन्हें दावा हाजा में बिना पक्षकार बनाये लालचवश दावा पेश किया है जबकि प्रतिवादी सं0 1 का कानूनन वाद भूमि में 1/5 हिस्सा है। इसलिए अपीलाण्ट प्रत्येक 1/7–1/7 हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी सं0 1 की जीवनकाल में वादीयागण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। इनका ना तो कोई हक हिस्सा है एवं ना ही भूमि के किसी भग पर उनका कब्जा है। वादीगण ने अपना दावा हाजा में वाद भूमि को पुश्तैनी होना दर्ज किया है परन्तु अपीलाण्ट ने दावा में सजरा में कोई पुश्तैनी सजरा दर्ज नहीं किया है। वादीगण ने अपने दादा श्योपत की पुत्रियों के अस्तित्व को छुपाया है, जो कि आवश्यक पक्षकार हैं आवश्यक पक्षकार के संयोजन के बिना दावा खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2012 (2) आरएलडब्ल्यू पेज 1095 एचसी, 2010 (2) आरबीजे पेज 272 एससी के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. उभयपक्ष की बहस में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 2 व 5 के पिता/पति नत्थुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दसतावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिसमें विवादित भूम भोपतराम को उसके पूर्वजों से भूमि मिली हो। केवल दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने मात्र से यह नही माना जा सकता है कि प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी हो । वादीया ने न्यायालय में प्रस्तुत सशपथ कथनों में अपने बयानों की प्रति परीक्षा में विवादित भूमि बाबत [illegible] किया जाना बताया है वह केवल प्रतिवादी का [illegible] होने व उन्हें लाने ले जाने के

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

कारण बताया है व दावा करने कारण मनमुटाव होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सं0 1 हमारे साथ व्यवहार अच्छा करता तो हम मौजूदा दावा नही करते। दावा प्रतिवादी पक्ष के साथ मनमुटाव होना बताया है दूसरा हिन्दू उत्तराधिकार की धरा 6 के संशोधन का जो आधार वादियागण ने लिया है वह भी साबित नहीं होता है दूसरा पीढी दर पीढी प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी दर्ज होना भी सबित नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट ने अपनी साक्ष्य में जो 20 वर्ष पूर्व बंटवारा का कथन किया है उसका भी वादिया पक्ष की और से कोई खण्डन पेश नहीं हुआ है। अपीलाण्ट वादीया अपने पिता के जीवनकाल में पिता की सम्पति में कोई हक हिस्सा होना अपनी मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं किया है। स्वयं वादीया पीडब्ल्यू 1 ने अपने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि शुरू से ही ववाद भूमि के किसी भी भाग पर वादियागण का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। दूसरा वादिया का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा साबित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत अन्य ऐसा कोई तथ्य अपीलाण्ट ने पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2013 यथावत रखा जाता अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.6.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

9/6/22

(करतार सिंह पूनियॉआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:08 IST
Reason: SelfAttested